(37)

R 996-II-17

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2017

उमराव सिंह आ. श्री भैरूलाल आयु वयस्क
निवासी अलीपुर आष्टा तहसील आष्ट जिला सीहोर म0प्र0।......................................निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. बंशीलाल आ. श्री भैरूलाल आयु वयस्क
02. गेंदालाल आ. श्री भैरूलाल आयु वयस्क
दोनों निवासी अलीपुर आष्टा तहसील आष्टा जिला सीहोर
03. राजकुँवर पुत्री भैरूलाल पत्नि श्री मुरलीधर आयु वयस्क
निवासी बांसला तहसील शुजलापुर जिला शाजापुर म0प्र0 ....रेस्पाण्डेंटगण

(64)

अभिभावक श्री ...... द्वारा आज दिनांक 23.12.17 को पेश।
अधीक्षक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 09/01/2017 प्रकरण क्रमांक 64/अ-27/07-08 पारित द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय, आष्टा जिला सीहोर म0प्र0

प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-

01. प्रकरण क्रमांक 64/अ-27/07-08 श्रीमान् तहसीलदार महोदय, आष्टा जिला सीहोर म0प्र0

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ तहसीलदार महोदय, आष्टा जिला सीहोर के न्यायालय द्वारा क्षैत्राधिकार पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण क्रमांक वास्ते प्रकरण में बंटवारा किये जाने वास्ते संचालित किया जा रहा है एवं श्रीमान् व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग-2 आष्टा के समक्ष व्यवहार वाद क्रमांक 35ए/2016 स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 996–दो/2017 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–6–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल बुदनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 64/अ–27/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 09–1–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने व्यवाहार न्यायालय के प्रकरण कमांक 35ए/2016 से कोई अनुतोष आवेदक को प्राप्त नहीं होने तथा न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई स्थगन प्रदान नहीं किये जाने से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं रोकने के आदेश दिये हैं। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर अथवा स्थगन आदेश प्रस्तुत कर तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। इस न्यायालय से आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी पर विचार किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	